विवरण

क्र०सं०	नाम	स्थापना स्थल
1	मैसर्स हीरो साइकिल (पी) लि०	लुधियाना
2	मैसर्स एटलस साइकिल इण्ड० लि०	सोनीपत
3	मैसर्स हीरो साइकिल लि०	मेरठ
4	मैसर्स टी०आई० साइकिल ऑफ इंडिया	मद्रास
5	मैसर्स नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन लि०	मेरठ
6	मैसर्स साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया	बरद्वान
7	मैसर्स रोडमास्टर इण्ड० ऑफ इंडिया	पटियाला
8	मैसर्स एटलस साइकिल लि०	मेरठ
9	मैसर्स नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन लि०	बम्बई
10	मैसर्स एवन साइकिल लि०	लुधियाना
11	मैसर्स गुजरात साइकिल लि०	बडोदरा

उपर्युक्त 11 एकक संगठित क्षेत्र में हैं ।

मध्य प्रदेश में नए औद्योगिक एककों की स्थापना

966. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े आवेदन-पत्र/प्रस्तावों की जिला वार संख्या कितनी है;

(ख) इन प्रस्तावों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) इन औद्योगिक एककों से रोजगार के कितने अवसरों का सृजन होने की सम्भावना है;

(घ) इन संयुक्त उद्यमों से कुल कितनी विदेशी-मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है;

(ङ) प्रत्येक एकक में कितनी पूंजी का निवेश किये जाने की सम्भावना है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी; और

(च) क्या सरकार ने सभी उद्यमियों के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किये है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मध्य प्रदेश में इकाइयां स्थापित करने के लिए 30.11.93 को लम्बित पड़े औद्योगिक लाईसेंस के आवेदनों की संख्या का जिले-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न (नीचे देखिए) है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त आवेदनों में प्रस्तावित अचल संपत्ति में विदेश और प्रस्तावित रोजगार क्रमशः 1223.17 करोड़ रुपये तथा 15265 व्यक्ति है।

(घ) और (ङ) संयुक्त उपक्रम हेतु विदेशी सहयोग के प्रस्तावों में परियोजना के स्थापना स्थल का उल्लेख नहीं होता है । इसलिए, विदेशी सहयोग से स्थापित होने वाले संयुक्त उपक्रमों के प्रस्तावों का राज्य-वार विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जा रहा है।

(च) औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए सभी आवेदनों पर औद्योगिक नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

विवरण

दिनांक 30-11-93 को लंबित पड़े औद्योगिक लाइसेंस आवेदन

जिला	लंबित पड़े आवेदनों की संख्या
1. बालाघाट	1
2. भिण्ड	4
3. धार	2
4. छिन्दवाड़	1
5. दमोह	1
6. दतिया	1
7. गुना	1
8. नरसिंहपुर	1
9. राजगढ़	1
10. शिवपुरी	1
11. सीधी	1
12. बेतुल	2
13. होशंगाबाद	2
14. रायपुर	2
15. रायसेन	1
16. बिलासपुर	2
17. खारगांव	2
18. रतलाम	2
19. पूर्वी निमार	1
20. पश्चिमी निमार	1
21. इंदौर	2
22. शहदोल	1
23. भोपाल	2
24. छत्तीसगढ़	4
योग :	39

Loan given to fictitious Khadi Units

967. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there were 1400 Khadi units working in the country during 1920—1990 ;

(b) whether it is also a fact that during 1990—93 at least 3,600 Khadi units were added ;

(c) whether it is also a fact that many of the units were fictitious and were given loan in an irregular way ;

(d) whether any enquiry has been instituted in this regard ; and

(e) if so, the result of the enquiry and action taken against those found guilty ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) At the end of the year 1989-90 i.e. up to 31st March, 1990, there are 1172 institutions on the direct list of Khadi & Village Industries Commission (KVIC). As on 31-3-92 this number has increased to 2320 and at the end of last year i.e., 1992-93, the number is estimated to be around 3500.

(c) to (e) Government have received compaints regarding direct listing of institutions by KVIC. Government has issued the following directives to KVIC in this regard :—

(i) KVIC should not register any new institutions for manufacture of Khadi or Polyvastra excepting in areas selected for special employment programme ;

(ii) no new institutions for village industry should be directly aided by KVIC. In all such cases, they should be financed by State KVI Board ;

(iii) KVIC should immediately review the functioning of the institutions which have been registered during the last three years and send a report to the Government of India.

KVIC has also taken a decision to stop all direct listing of institutions after 1-4-1993. Action will be taken after the review report is received.